

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्दाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मोरीजा)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमूं व
अजलास अशोक कुमार योगी आरएएस

- 1 बंशी पुत्र घासी
- 2 चन्दालाल पुत्र घांसी
समस्त, जाति माली, निवासी ढाकला की ढाणी, ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला
जयपुर।

बनाम

1. रूडा पुत्र रामेश्वर
2. जगदीश पुत्र रामेश्वर
3. मोहन पुत्र रामेश्वर
4. श्रवण पुत्र रामेश्वर
समस्त, जाति माली, निवासी ढाकला की ढाणी, ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला
जयपुर।
5. केशी देवी पुत्री गणेश पत्नि रामनारायण, जाति माली, निवासी ग्राम शाहपुरा तहसील
शाहपुरा, जिला जयपुर।
6. कमली देवी पुत्री गणेश पत्नि प्रभात, जाति माली, निवासी ग्राम भूरथल, तहसील आमेर,
जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, चौमूं, जिला जयपुर।
8. गोपी पुत्र घासी
9. नानगराम पुत्र घांसी
10. रामपाल पुत्र घांसी
11. मंगला पुत्र फत्ता
12. गुल्ला पुत्र फत्ता
13. रूघनाथ पुत्र फत्ता
14. हनुमान पुत्र फत्ता
समस्त जाति माली, निवासी ढाकला की ढाणी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला
जयपुर।

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं० 21/2016

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू प्रतिवादी हाजरी मिनजामिन मुददई
रूबरू अशोक कुमार योगी आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता
है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादीगण द्वारा पूर्व मे वाद के लम्बित रहते हुए न्यायालय के समक्ष तथ्यों को
छुपाते हुये नया वाद प्रस्तुत किया है जबकि एक ही वादग्रस्त आराजी को लेकर उसी
पक्षकार द्वारा नया वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वादी को समस्त तथ्यों का भली

31
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

भाती ज्ञान होने के बावजूद तथ्यों को छुपाते हुए नवीन वाद प्रस्तुत किया है जो विधि द्वारा वर्जित है। अतः अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. में अर्न्तनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफतर हों।

बसमत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 16.05.2017 को जारी किया गया।

मोहर



दस्तखत
ओहदा

उपर्युक्त अधिकारी
बोरमूला जिला जम्मू

मुदई	रुपये	पैसे	मुदाईला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा	1	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	1	

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपर्युक्त अधिकारी
बोरमूला जिला जम्मू